संख्या:12 /2017 /557/सत्रह - म- 2017, II -I (4)/07

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 05 अप्रैल 2017

विषय मोबाइल फिश पार्लर योजनान्तर्गत वर्ष 2017- 18 के लेखनुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 6.875 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या -183 /नि0शा0/2017- 18 दिनांक18-04-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश् हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017 -18 में मोबाइल फिश पार्लर योजनान्तर्गत आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत मोबाइल फिश पार्लर योजना हेतु लेखानुदान में रू0 16.50 लाख का प्राविधान किया गया है।

2- अत: लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि रू0 16.50 लाख में से लेखानुदान अवधि (अप्रैल,2017 से अगस्त,2017 तक 5/12 भाग) हेतु रू0 6.875 लाख (छ: लाख सत्तासी हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत 9 जनपदों के लिए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	इकाई लागत	इकाई लागत का 30 प्रतिशत अनुमन्य अनुदान	आय- व्ययक अनुमान 2017-18	लेखानुदान अवधि हेतु वित्तीय स्वीकृति की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ (एक यूनिट अल्पसंख्यक के लिए)	2	5.50	1.65	3.30	1.3750

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

2	आगरा	1	5.50	1.65	1.65	0.6875
3	मथुरा	1	5.50	1.65	1.65	0.6875
4	गोरखपुर (17 अन्य पिछडी जातियों में से)	1	5.50	1.65	1.65	0.6875
5	झांसी	1	5.50	1.65	1.65	0.6875
6	मुरादाबाद (अल्पसंख्यक)	1	5.50	1.65	1.65	0.6875
7	शाहजहॉपुर	1	5.50	1.65	1.65	0.6875
8	बरेली	1	5.50	1.65	1.65	0.6875
9	मेरठ	1	5.50	1.65	1.65	0.6875
	योग	10			16.50	6.8750

(छः लाख सत्तासी हजार पॉच सौ मात्र)

1- उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग पूर्व में निर्धारित नियमों /शर्तो के अधीन योजना का क्रियान्वयन निदेशक मत्स्य उ0प्र0 लखनऊ की कार्ययोजना के अनुसार किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा मण्डल स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने की कार्यवाही की जायेगी ।

2- यह योजना निजी क्षेत्र में चयनित पात्र लाभार्थियों के 30 प्रतिशत शासकीय अनुदान और 70 प्रतिशत बैंक ऋण द्वारा शहरी क्षेत्र में क्रियान्वित की जायेगी। लाभार्थियों की सूची एवं बैंक खाते की पूर्ण सूचना शासन को देनी होगी। उपरोक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा ।

3- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराया जायेगा । उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व जहॉ पर उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

3- उपरोक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017 -18 के अनुदान संख्या - 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन -101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 04-मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0404 – मोबाइल फिश पार्लर योजना, 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1 /2017 /बी0-1-02 /दस -2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या - 03 /2017 /बी0-1-348 /दस -2017-231/2017 दिनांक 20-03-2017में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या 12 /2017 /557 (1)/सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा -परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- संयुक्त निदेशक मत्स्य , मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
4 - सम्बधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
6 - वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।